



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49870

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 30036 वर्ष 2008

नरेंद्र और अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उप संचालक चकबंदी, गाजियाबाद और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार पांडेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.के. सचान, आद्या प्रसाद तिवारी, बिमला प्रसाद, स्थायी अधिवक्ता, हरे राम पांडेय

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

के संबंध में: सिविल विविध विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र संख्या 15 वर्ष 2026 और सिविल विविध प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 16 वर्ष 2026:-

1. वर्तमान प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र, विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ, शपथ पत्र द्वारा समर्थित, मृतक याची संख्या 3, अर्थात्, सुरेंद्र के वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए दाखिल किया गया है।
2. प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को पूर्वोक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल करने में हुए विलंब के लिए दर्शाया गया कारण पर्याप्त और न्यायालय के लिए संतोषजनक है। तदनुसार, विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ-साथ प्रतिस्थापन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।

4. उपशमन, यदि कोई हो, अपास्त किया जाता है।
5. कार्यालय को वर्तमान याचिका के वाद शीर्षक में मृतक याची संख्या 3 के वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को क्रमशः याची संख्या 3/1 और 3/2 के रूप में प्रतिस्थापित करने का निदेश दिया जाता है।

के संबंध में: सिविल विविध वापसी प्रार्थना पत्र संख्या **17 वर्ष 2026:-**

1. वर्तमान वापसी प्रार्थना पत्र याचीगण की ओर से, सभी याचीगण, अर्थात् नरेंद्र, रकम सिंह, गीता और कपिल के संयुक्त शपथ पत्रों द्वारा समर्थित, दाखिल किया गया है।
2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री देवराज यादव ने निवेदन किया कि बदली हुई परिस्थितियों में याचीगण वर्तमान रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और, इसलिए, इसे वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया जाए।
3. निजी प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को याचीगण द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. तदनुसार, वापसी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश:-

वापसी प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

मार्च 11, 2026

सुषमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।